मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (उद्यम/सेवा/व्यवसाय परियोजना की स्थापना हेतु)

1.	आवेद	क का पूरा नाम	:		
2.	पिता,	⁄ पति का नाम			
3.	(ক)	निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता	:		
	(ख)	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:		
	(ग)	प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	:		
	(ঘ)	इकाई का दूरभाष / मोबाईल नम्बर			
4.	शैक्षपि	गक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)			
5.	/ डि संस्थ (ME	ोकी योग्यता / अनुभव, जैसेः आइ.टी.आई. प्लोमा / इंजीनियरिंग / अन्य अधिकृत ओं द्वारा प्रदत्त मॉड्यूलर एम्प्लायबल रिक्ल्स S) प्रमाण–पत्र कोई हो, प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:		
6.	(ক)	जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:		
	(ख)	आवेदन दिनांक को उम्र	:	वर्षमॉहवि 	न
7.	(ক)	आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी. सी./महिला/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन) (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:		
	(ब)	लिंग (पुरूष / महिला)	:		
8.	(ক)	प्रस्तावित गतिविधि का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)	:		

	(ब)	परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई / सेवा इकाई / व्यवसाय)	:
9.	(अ)	परियोजना लागत (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा (iii) कार्यशील पूंजी योग	: ₹ : ₹ : ₹
	(ब)	प्रस्तावित वित्तीय प्रबन्ध (i) आवेदक की मार्जिन मनी (सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित	: ₹
		वर्ग के लिए 5 प्रतिशत) (ii) अपेक्षित टर्म लोन (iii) कार्यशील पूंजी हेतु ऋण योग	: ₹ : ₹
10.		वित बैंक शाखा का नाम जहां हितग्राही अपना प्रमाण भेजना चाहता है	: 1. 2.
11.		मेता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो ज विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:
12.	लिया	में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो, तो ज विवरण।	:
13.	अन्य	कोई विवरण।	

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u> मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमाक—1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

- 1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।
- 2. राशन कार्ड / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र / मतदाता पहचान-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड (कोई भी एक)
- 3. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 4. जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
- 6. सक्षम प्राधिकारी जारी जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) ।
- 7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
- ८. अन्य।

ā	गर्यालय प्रयोगार्थ
आवेदन—पत्र का क्रमांक	जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन–पत्र प्राप्ति का दिनांक

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना—पर्

					वेत्तीय र्ष		यता	के ि	ाए प्रा	थिना–	-पत्र 			
	ग्रामी	ण							शहरी					
सेवा	मह जि 		द्योग के								स्व: :	सत्यापित	ा फोटो	
1.	लागार	।। पग	पूरा र	गम एवं 	आवार	गम्बर								
2.	जन्म 1		1	•									1	
		दिन					महीना				1	वर्ष		
3.	लिंग पुरू	<u>।</u> ष							स्त्री					
4.	पिता /	′पति	का ना	म / सम्प	नर्क व्य	क्ति क	ा नाम	(संस्था	के म	मले में)				
5.		वहार	/ स्था	यी निवा	स का	पता		T					1	
मका														
गली मौट	न. न्ला ∕ ग	ia / .=	<u>.</u>											
	ोल एवं													
	नं. ए र			सहित										
मोबाः	्र इल नं.													
					•			•					•	•

प्रस्तावित इकाई	स्थल का	पूर्ण पता						
गांव / शहर								
डाकघर								
ब्लॉक				तह	सील			
जिला				पिन	कोड			
7. परियोजना मंजूर बैंक का नाम गांव / शहर जिला	ो के क्षेत्र मे	ां पसंद के है	ोंक का न	ाम एवं पूण	पता दे	टेलीफोन न	ं. सहित	
टेलीफोन नं.								
8. शैक्षिक / प्राविधि								
(अ) शैक्षिक योग्यता	बोर्ड / वि	श्वविद्यालय	(ब)	तकनीकी र	योग्यता	बोर्ड / वि	!श्वविद्यालय <i>,</i>	/ संस्थान
आठवीं पास								
हाईस्कूल								
इण्टरमीडिएट								
स्नातक								
स्नातकोत्तर								
		_						
9. क्या उद्यमिता र् 10 दिवस) में भ				हां			नहीं	
a c :						_		
10. लाभार्थी किस है			1 -		-		I	I
अनु. अ.ज. जाति जाति	ओबीसी	महिला	विकलांग	ग भूतपूर्व सैनिक		त्पसंख्यक	नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र	सामान्य
11. परियोजना का		ान लगाएं)		¬ ,-		Г		
उत्पादन / विनिग् इकाई	नाण			सेवा / व	यवसाय			

12. प्रस्तावित उद्योग/सेवा/व्यवसाय का नाम

13. परियोजना के लिए अपेक्षित ऋण राशि (रू. में)

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	भवन स्वयं			पूंजीगत र	व्यय ऋण		
	का / किराये	कार्यशाला /	मशीनरी एवं	परिचालन	कार्यशील	योग	प्रस्तावित
	का	भवन	उपकरण	पूर्व लागत	पूंजी /		रोजगार
				C.	नकद ऋण		
					सीमा		
ľ							

13. क्या आवेदक द्वारा केन्द्र / राज्य सरकार की योजना या समान प्रकार की किसी अन्य योजना में पहले से लिये गये ऋण / अनुदान दिया गया है: हां / नहीं

मैं प्रमाणित करता हूं कि दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, और यह कि मैंने और मेरे किसी आश्रित ने ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र/किसी राज्य सरकार से या बैंक से सब्सिडी/सहबद्ध योजना के अन्तर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है।

दिनांक-

स्थान–

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:--

- निजी अंशदान के रूप में अजा./अजजा./अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/पर्वतीय क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत और सामान्य के लिए 10 प्रतिशत निवेश होगा।
- कुल परियोजना लागत विनिर्माण / उत्पादक इकाई के लिए रू. 5 लाख एवं सेवा / व्यवसाय इकाई के लिए रू. 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3. आवेदक को स्वयं के आंशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा।
- आवेदन–पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
- 5. अ.जा. / अ.ज.जा. / अपिव / शावि / पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।
- 6. यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण में भाग लिया हैं, तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें। कार्यालय प्रयोग के लिए (निरस्त / जिला कार्यदल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएं) कारण: (यदि अस्वीकार किया गया हो)

दिन	गंक—
स्थ	ान—

आवेदक के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शपथ-पत्र (आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और यह अनिवार्य है)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा घोषणा की जानी है।

में	पत्र / पत्र	ो / पत्नी श्री / श्रीमती
	3 · 3	स्टब्लॉक / तहसीलब्लॉक / तहसील
<u> </u>		यह घोषणा करता / करती हूं किः

- 1. मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विस्तार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों तथा नियम एवं शर्तों, विशेष रूप से उद्योग/सेवा/व्यवसाय के स्वरूप, परियोजना में निवेश, स्वयं के योगदान आदि के बारे में निर्धारित मानदण्डों को पढ़ और समझ लिया है।
- 2. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए राज्य स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय नोडल एजेंसी है और यह योजना जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (DIC) के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।
- 3. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है।
- 4. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मेरा आवेदन सूक्ष्म जांच (Scrutiny) तथा संक्षिप्त सूची बनाने (Shortlisting) के लिए जिला कार्य दल सिमित (DTFC) को भेजा जाएगा। मैं यह भी जानता / जानती हूं कि चुने हुए आवेदकों को प्रस्तावित प्रोजैक्ट के विषय में उनकी जानकारी, योग्यता, रूचि, कौशल, एवं उद्यमशीलता क्षमता, बाजार उपलब्धता, चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता का आंकलन एवं परियोजना की स्वीकृति हेतु बैंक को केवल सराहनीय चुने हुए आवेदकों की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथम रूप में जिला कार्यदल सिमित द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- 5. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि प्रोजैक्ट की व्यवहार्यता (Viability) पर आधारित प्रोजैक्ट को मंजूरी देने का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जिला कार्यदल समिति को है।
- 6. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य है। 'परिवार' में स्वयं और पित या पत्नी शामिल हैं।

- 7. मैं पूरी तरह से जानता / जानती हूं कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा "एक मुश्त सहायता" है। क्रेडिट सीमा में किसी भी वृद्धि या प्रोजैक्ट के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध नहीं है।
- 8. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता / मानती हूं कि एकबार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी जारी हो जाता है, तो इसे लाभार्थी / संस्था के नाम से वित्त पोषक बैंक शाखा स्तर पर तीन वर्ष के सावधि जमा रसीद (TDR) में रखा जायेगा TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और TDR की समतुल्य ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा।
- 9. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता / मानती हूं कि यद्यपि मार्जिन मनी बैंक के निर्दिष्ट नोडल ब्रांच द्वारा जारी होगी, फिर भी योजना के मापदण्डों पर आधारित दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार योजना को प्रायोजित करने वाली नोडल एजेन्सी को है।
- 10. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विचाराधीन प्रोजैक्ट के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया है।
- 11. यह भी प्रमाणित किया जता है कि आवेदन में दिए गए पते पर प्रस्तावित इकाई एक नयी इकाई है और मैं इस इकाई का एकमात्र स्वामी हूं।
- 12. मैं निर्धारित समय के अन्दर आवश्यक ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण में भाग लेने की शर्त से सहमत हूं और मानता हूं।
- 13. मैं अपने / हमारे प्रोजैक्ट साइट के मुख्य प्रवेश द्वारा पर निम्नलिखित साइन—बोर्ड को प्रदर्शित करने हेतु सहमत हूं:—

	(इकाई का नाम)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन जिला उद्योग	केन्द्र,
द्वारा प्रायोजित	(बैंक) द्वारा वित्त पोषित

- 14. मैं योजना दिशा—निर्देशों / मानकों इत्यादि के पूरा नहीं होने की स्थिति में मार्जिन मनी का हिस्सा / पूरी धनराशि वापस करने के लिए सहमत हूं।
- 15. मैं सहमत हूं कि यदि जिस किसी भी कारण से मार्जिन मनी का दावा करने हेतु इकाई अयोग्य पायी जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या मेरे पक्ष में स्वीकृत मार्जिन मनी को वापस मंगाने का अंतिम अधिकार है और उस स्थिति में, मैं जिला उद्योग केन्द्र को मेरे प्रोजैक्ट पर प्राप्त पूरा/आंशिक मार्जिन मनी वापस करूंगा/करूगी।
- 16. मैं इकाई का भौतिक सत्यापन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत जिला उद्योग केन्द्र, वित्त पोषक बैंक के अधिकारियों को अनुमित देने के लिए सहमत हूं और उन्हें मेरी इकाई के

विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराउंगा / कराउंगी तथा बही खातों सहित आवश्यक दस्तावेज दिखाउंगा / दिखाउंगी।

- 17. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता / मानती हूं कि प्रोजैक्ट से सम्बन्धित किसी भी मामले पर जिला उद्योग केन्द्र के विरुद्ध कोई भी कानूनी सहारा लेने के लिए सिर्फ राज्य न्यायालयों के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।
- 18. यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के गुप्त मकसद के साथ बनाया गया है, तो जिला उद्योग केन्द्र मुझ पर मुकदमा चलाने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने, जैसा उपयुक्त समझा जाए. के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः	(लाभार्थी के हस्ताक्षर)
स्थान:	(नाम एवं पता)

- 1. निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र।
- 2. निवास का प्रमाण-पत्र राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड।
- 3. शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (उपरोक्तान्सार)।
- 4. किरायानामा अथवा यदि स्वयं का भवन है तो स्वामित्व अधिकार का प्रमाण–पत्र जैसे म्यूटेशन अथवा रजिस्ट्री की फोटो प्रति।
- 5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र।
- 6. जाति प्रमाण-पत्र यदि लागू हो (छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है)।

Please Tick (1) One of No. 1 and any one of Number 2

1 Male Female 2	Gen SC	ST OBC	Minority	Ex-Servi	ceman	PH	HBA
				D 1			
НО/(C.O		•••••				
(Application Form cur					for MS	ME	
Department,							
(TO BE F	ILLED IN B	BLOCK LI	ETTER OR	TYPED)			
From:-		E.,11	Postal Addr	oss of the	Duan ah		
The Branch Manager,			Fostal Addi Fown				
The Dianen Manager,	Branch	,					
			ict				
Ref. No.				Date:			
То							
The Directorate of Industri	es.						
Department of MSME, Utt	•						
Patel Nagar, Dehradun.	aramana,						
,							
(THF	ROUGH TH	E FINAN	CING BAN	JK's)			
Sub.: Payment of "Go					oned un	der	
Chief Minister Self-Emp							
C.							
Sir,				/ .] 1. 4 .	/: <i>C</i> -	- (
1/ we	Cognotom					of	
Proprietor of						ustee/	
been							
Branch	Teheil	•••••	Dietrict	n the rh	nancing	Dank	
State of		••••••		••••••		•••	
Details of Project Cost	Amount (Rs	s.) Means	of Finance		Amoun	t (Rs.)	
A) Capital Expenditure:-		Own	Contribution				
(i) Workshed							
(ii) Machinery/Equipment		Term	Loan fo	or Fixed			
		Capita					
B) Working Capital		Cash	Credit for	Working			
		Capita	1				
TOTAL (Rs.)			TOTAL (R				
	d should not	be included	l in the Capi	ital Expend	liture unc	ler the	
project cost						_	
	of the pro	,				ns for	•
manufacturi	ng and Rs. 3.0	00 lakhs fo	: Business/S	ervice Secto	or.		

Signature of the beneficiary.....

2 1		etails of my/our project is as und	ler:				
2.1	(a) Full name of the beneficiar(b) Father's Name (In case of	•					
	(c) Date of Birth of individual	maividuai)					
	(d) Full address (with Pin Cod	e)					
	(e) Legal Status/Constitution (*					
	(f) Registration No. and date, i						
2.2	Location of the unit						
	(Village, Taluka, District and S	tate with Pin Code)					
2.3	Name of Village Industry Acti						
2.4	(a) General Category or	7 \ 1 37	YES/NO				
	(b) Whether the	beneficiary belongs to					
	SC/ST/Minority/OBC/ExSe	rvicemen/PHC/Women/HBA					
	(Please Specity)						
2.5	Employment envisaged	a) Full time					
2.6	Particulars of deposit of Own Contribution	a) Nature of Deposit	SB/CD				
		b) Account No.					
		c) Date of deposit					
		d) Amount deposited	Rs				
2.7	Bank's Sanction Letter No.	(Copy of sanction order to be enclosed)					
		Date of Sanction					
2.8	Date and amount of first disbu						
2.0	(Certified copy of ledger extra	,					
2.9	Scheme for Micro, Small Indu	ed under Credit Gurantee Fund stries of CGTMSE					
3.		by the terms and conditions and	•				
	the Department of MSME, Govt. of Uttarakhand in this behalf from time to time						
	and those to be issued in future with regard to CMSEP. I/We also agree to furnish						
	progress report on production, sales, employment, wages paid etc. to the Bank which in turn will send the information on basis to Directorate of MSME, Govt. of						
	Uttarakhand for record and further information.						
	e ttaraknand for record and ru	rtier information.					
4.	I/We hereby declare that the	Govt. Subsidy has not been clain	ned either by me or by				
	I/We hereby declare that the Govt. Subsidy has not been claimed either by me or by any other person of my family for the same or any other project in the past and "one						
	family one subsidy" norm has been followed. Further, the Bank credit has not						
	been/will not be utilize to adjust or square off any previous loan/advance taken by						
	me/us in the past.						

5. Certified that the unit financed by
6. (*) It is also certified that the unit located at the address mentioned in the Govt Subsidy is in my name only and I am the sole proprietor of this unit. It is also declared that, it is not a Partnership Firm/Private Company. 7. Certified that I/We have already undergone necessary EDP Training of
7. Certified that I/We have already undergone necessary EDP Training of
8. Certified that I/we shall display following sing-board at the main entrance of my/our project site:
Financed by
respect of Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small Industries operated by CGTMSE, if the Bank in its discretion decides to recover the same. 10. I/We, hereby undertake to refund proportionate amount of Govt. subsidy calculated on working capital loan/cash credit facility, if the said WC Loan/CC facility is not adequately utilized as per stipulated norms of MSME Department. The average utilization of working capital during the first year of operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch at least one peak
10. I/We, hereby undertake to refund proportionate amount of Govt. subsidy calculated on working capital loan/cash credit facility, if the said WC Loan/CC facility is not adequately utilized as per stipulated norms of MSME Department. The average utilization of working capital during the first year of operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch at least one peak
adjusted with the loan amount.
11. It is hereby declared that all facts furnished above by me/us in the Govt. Subsidy claim are correct and if any information is found to be false or leads to misguiding the authorities with ulterior motive of availing Govt. Subsidy. I/We should be subjected to any punishment as deemed fit in the eyes of law.
12. The Advance Stamp Receipt of Govt. Subsidy amount is also attached
Place: Yours faithfully, Date:

Signature of the Beneficiary SEAL

COUNTERSIGNED BRANCH MANAGER

(SEAL OF THE BANK BRANCH)

RECEIPT		
Received Rs		
sanctio	oned for Rsbybyby	
	(Revenue Stamp)	
	(Signature of the Applicant)	
Note:	In case of a Co. operative Society/Institution, Seal has to be affixed.	
	(FOR THE USE OF THE BANK/BRANCH)	
1.	In consideration of the project of the above beneficiary/Institution, our Bank/Branch has sanctioned a loan of Rs	
	(E.E. Rs	
	in Term Deposit in the name of the beneficiary for 3 years from the date of release	
	of first installment of the loan. It is confirmed that no interest will be paid on the amount of TDR by the Bank and no interest will be charged on the corresponding amount of the loan for a period of 3 years. The Bank is aware, that if the advance	
	goes "bad" before 3 years, Govt. Subsidy will be adjusted to liquidate loan liability of the beneficiary with interest. Recovery, if any, effected lated will be remitted to	
	the Commission.	
2.	Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of Shri/Smt/Ms is a new unit and not an existing unit. The	
	instant Govt. Subsidy claim is in conformity for utilization/adjustment partly or wholly, of any dept deemed bad or doubtful of recovery or to adjust/liquidate any past loan/advance.	
3.	Certified copy of the Sanctioned order of the Bank and certified ledger extracts of the borrower's Terms loan A/c and Cash credit account is/are enclosed	
4.	Shri/Smt	
5.	Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of Shri/Smt./Ms and Govt. Subsidy	
	amount released to the unit will proportionately recovered and remitted to MSME Department if the unit does not adequately utilize the WC/CC facility as per	
	MSME Department norms i.e the average utilization of WC during the first year of	
	operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch atleast one peak level utilization of 100% within 3 years period	
	before the Govt. subsidy is adjusted with the loan amount.	
Place:	·	
Date:	(Designation of the Bank Official) SEAL	
Enclosures: As above. (Signature Code/P.A. No		

TO BE STAMPED AS AN AGREEMENT AS PER THE STATE STAMP ACT IN FORCE LETTER OF UNDERTAKING TO BE SIGNED BY THE BORROWER FINANCE UNDER CMSEP

To,
The Branch Manager,
LOAN SANCTIONED UNDER THE CHIEF MINISTER'S SELF EMPLOYMENT
PROGRAMME SCHEME FOR
(ACTIVITY)
I/Wie have hood exactioned with a love for De
I/We have been sanctioned with a loan for Rs.
(Rupees) on
for which necessary documents have been executed by me/us. I/We shall become eligible
for Margin Money Assistance of Rs(Rupees
under the above scheme only after Directorate of Industries/DIC approves my/our
eligibility for the Margin Money. Pending approval & admission of the claim by
Directorate of Industries/DIC the Margin Money Subsidy amount may be retained in a
Term deposit Account with the Bank in my/our name for three years with lien marked for
the loan sanctioned. In case of non-admission/non approval of claim by Directorate of
Industries/DIC the Bank shall be entitled to.
(a) Refund the subsidy in full to the Directorate of Industries/DIC.
(b) To convert the sanction into one or the other of its schemes at its sole discretion
without any further reference to me in this regard.
(c) I further undertake to blind myself and abide by the decisions/actions taken by the
Bank this regard as aforesaid.
Yours faithfully,
Signature of Borrower
Date: